

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)
प्रकरण संख्या - 1131/2024

अनवान : -

1. लीलूराम पुत्र जुगलाल जाति धानक निवासी उज्जलवास तहसील नोहर।
2. चन्द्र प्रकाश पुत्र जुगलाल जाति धानक निवासी उज्जलवास तहसील नोहर।

— वादीगण

बनाम

1. सुभाष पुत्र जुगलाल जाति धानक निवासी उज्जलवास तहसील नोहर।
2. इन्द्रो पत्नी बंशीलाल जाति धानक निवासी उज्जलवास तहसील नोहर।
3. पूनम उर्फ पूनम कुमारी पुत्री बंशीलाल जाति धानक निवासी उज्जलवास तहसील नोहर।
4. सन्दीप पुत्र बंशीलाल जाति धानक निवासी उज्जलवास तहसील नोहर।
5. कमला उर्फ कमला देवी पुत्री जुगलाल जाति धानक निवासी उज्जलवास तहसील नोहर।
6. गुडी उर्फ गिरदावरी पुत्री जुगलाल जाति धानक निवासी उज्जलवास तहसील नोहर।
7. गिनो उर्फ गिनी देवी पुत्री जुगलाल जाति धानक निवासी उज्जलवास तहसील नोहर।
8. सितो उर्फ सिता देवी पुत्री जुगलाल जाति धानक निवासी उज्जलवास तहसील नोहर।
9. विमला उर्फ विमला देवी पुत्री जुगलाल जाति धानक निवासी उज्जलवास तहसील नोहर।
10. ओमप्रकाश पुत्री चन्दी उर्फ चन्द्रो देवी पुत्री जुगलाल जाति धानक निवासी उज्जलवास तहसील नोहर।
11. बीरमती पुत्री चन्दी उर्फ चन्द्रो देवी पुत्री जुगलाल जाति धानक निवासी उज्जलवास तहसील नोहर।
12. राममूर्ती पुत्री चन्दी उर्फ चन्द्रो देवी पुत्री जुगलाल जाति धानक निवासी उज्जलवास तहसील नोहर।
13. शमशेर सिंह पुत्र चन्दी उर्फ चन्द्रो देवी पुत्री जुगलाल जाति धानक निवासी उज्जलवास तहसील नोहर।
14. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

— प्रतिवादीगण


दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88-89 राजस्थान काश्त0
अधि0 1955

उपस्थिति :- श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी
पैरोकार राज

निर्णय

दिनांक: -19/12/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा चक 11 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 578/554 की कुल 9.3610 हैक्ट भूमि मं वादी व प्रतिवादीगण संख्या 5 ता 9 प्रत्येक 3121/93610 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 प्रत्येक के 104/9361 हिस्सा तथा प्रतिवादीगण संख्या 11 ता 13 की माता चन्दी अकेली 3121/93610 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार है।


उपखण्ड अधिकारी
नोहर



उक्त वाद भूमि वादीगण के पिता जुगलाल पुत्र हरिराम जाति धानक के नाम दर्ज थी उनकी फौतदगी के बाद विरासतन उनके वारिसान के नाम दर्ज हुई है। प्रतिवादीगण संख्या 5 ता 9 वादीगण व प्रतवादीगण संख्या 1 की बहिन है एवं प्रतिवादीगण संख्या 10 ता 13 भान्जा व भानजी है प्रतिवादीगण संख्या 5 ता 13 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 4 ने अपना हक हिस्सा अपनी माता प्रतिवादीया संख्या 2 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। बाद हक त्याग रोही मौजा चक 11 बारानी के खाता स0 578/554 की कुल 9.3610 हैक्ट भूमि में संयुक्त तौर से 3. 121 हैक्ट भूमि में वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 बहिब के खातेदार काश्तकार है एवं प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 9 व मृतक चन्द्रो देवी का नाम कलमजन करवा पाने के अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादीगण ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 13 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब पेश किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 33 को कोई ऐतराज नहीं है। प्रतिवादी संख्या 14 परोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम जमाबंदी, मृत्यु प्रमाण पत्र चन्दो देवी पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उपरोक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी संख्या 1 ता 2 व प्रतिवादी संख्या 1 प्रत्येक का 24287/708400 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 प्रत्येक का 24287/8500800 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 6 ता 9 प्रत्येक का 24287/2833600 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 10, 11 प्रत्येक का 24287/708400 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 12, 13 प्रत्येक का 24287/2833600 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 14 ता 19 प्रत्येक का 3/700 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 20 ता 23 प्रत्येक का 3/2800 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रतिवादीया संख्या 10 ता 11 जो कि वादीगण की बहिने है उपरौत भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं

C

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

लेना चाहती है तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह अपने भाईयों व उनके वारिसों के पक्ष में परित्याग कर दिया है तथा प्रतिवादी संख्या 12 ता 13 जो कि प्रतिवादी संख्या 2 की माता व बहिन है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती है तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह अपने पुत्र/भाई व उनके वारिसों के पक्ष में परित्याग कर दिया है तथा प्रतिवादी संख्या 14 ता 23 जो कि वादीगण की बुआ के वारिस है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहते हैं तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह अपने मामा के वारिसों के पक्ष में परित्याग कर दिया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के वाद को स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात् वादीगण के वाद के संबंध में कोई ऐतराज नहीं है। अतः वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावे।


पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादीगण ने दादालाई/पैतृक सम्पत्ति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 11 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 578/554 की कुल 9.3610 हैक्ट भूमि में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 5 ता 9 प्रत्येक 3121/93610 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 प्रत्येक के 104/9361 हिस्सा तथा प्रतिवादीगण संख्या 11 ता 13 की माता चन्दी अकेली 3121/93610 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार है, वादी का कथन है कि उक्त वाद भूमि वादीगण के पिता जुगलाल पुत्र हरिराम जाति धानक के नाम दर्ज थी उनकी फौतदगी के बाद विरासतन उनके वारिसान के नाम दर्ज हुई है। प्रतिवादीगण संख्या 5 ता 9 वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 की बहिन है एवं प्रतिवादीगण संख्या 10 ता 13 भान्जा व भानजी है प्रतिवादीगण संख्या 5 ता 13 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 4 ने अपना हक हिस्सा अपनी माता प्रतिवादीया संख्या 2 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। बाद हक त्याग रोही मौजा चक 11 बारानी के खाता स0 578/554 की कुल 9.3610 हैक्ट भूमि में संयुक्त तौर से 3.121 हैक्ट भूमि में वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 बहिब के खातेदार काश्तकार है एवं प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 9 व मृतक चन्द्रो देवी का नाम कलमजन करवा पाने के अधिकारी है, वादीगण के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार कर करते हुए इकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 13 को कोई ऐतराज नहीं है। वादी द्वारा प्रस्तुत वारिसनामा एवं सजरा खानदान के अनुसार जुगलाल के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तोजों से उक्त वाद भूमि पैतृक भूमि होना साबित है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

01
उपजम्द अधिकारी
नोहर

अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 11 बारानी के खाता स0 578/554 की कुल 9.3610 हैक्ट भूमि में संयुक्त तौर से 3.121 हैक्ट भूमि में वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 9 व मृतक चन्दी उर्फ चन्द्रो देवी का नाम कलमजन किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हों।

निर्णय आज दिनांक 19/12/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)
प्रकरण संख्या - 1131/2024

अनवान : -

1. लीलूराम पुत्र जुगलाल जाति धानक निवासी उज्जलवास तहसील नोहर।
2. चन्द्र प्रकाश पुत्र जुगलाल जाति धानक निवासी उज्जलवास तहसील नोहर।

— वादीगण

बनाम

1. सुभाष पुत्र जुगलाल जाति धानक निवासी उज्जलवास तहसील नोहर।
2. इन्द्रो पत्नी बंशीलाल जाति धानक निवासी उज्जलवास तहसील नोहर।
3. पूनम उर्फ पूनम कुमारी पुत्री बंशीलाल जाति धानक निवासी उज्जलवास तहसील नोहर।
4. सन्दीप पुत्र बंशीलाल जाति धानक निवासी उज्जलवास तहसील नोहर।
5. कमला उर्फ कमला देवी पुत्री जुगलाल जाति धानक निवासी उज्जलवास तहसील नोहर।
6. गुडी उर्फ गिरदावरी पुत्री जुगलाल जाति धानक निवासी उज्जलवास तहसील नोहर।
7. गिनो उर्फ गिनी देवी पुत्री जुगलाल जाति धानक निवासी उज्जलवास तहसील नोहर।
8. सितो उर्फ सिता देवी पुत्री जुगलाल जाति धानक निवासी उज्जलवास तहसील नोहर।
9. विमला उर्फ विमला देवी पुत्री जुगलाल जाति धानक निवासी उज्जलवास तहसील नोहर।
10. ओमप्रकाश पुत्री चन्दी उर्फ चन्द्रो देवी पुत्री जुगलाल जाति धानक निवासी उज्जलवास तहसील नोहर।
11. बीरमती पुत्री चन्दी उर्फ चन्द्रो देवी पुत्री जुगलाल जाति धानक निवासी उज्जलवास तहसील नोहर।
12. राममूर्ती पुत्री चन्दी उर्फ चन्द्रो देवी पुत्री जुगलाल जाति धानक निवासी उज्जलवास तहसील नोहर।
13. शमशेर सिंह पुत्र चन्दी उर्फ चन्द्रो देवी पुत्री जुगलाल जाति धानक निवासी उज्जलवास तहसील नोहर।
14. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

— प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 1131 सन 2024 निर्णय दिनांक -19/12/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादीगण श्री नरेन्द्र किशोर जोशी एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 11 बरानी के खाता स0 578/554 की कुल 9.3610 हैक्ट भूमि में संयुक्त तौर से 3.121 हैक्ट भूमि में वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 9 व मृतक चन्दी उर्फ चन्द्रो देवी का नाम कलमजन किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 19/12/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

ai
(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर